

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,  
मा० उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2024

विषय:-द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु की गयी भत्ते से संबंधित संस्तुतियों के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

सुसंगत संदर्भ:-

विषयगत प्रकरण से संबंधित प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में जारी किये गये पूर्व शासनादेशों का विवरण-

- (1) शासनादेश सं०- 6058/दो-4-05-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 07.07.2006
- (2) शासनादेश सं०- 5207/दो-4-06-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 27.07.2006
- (3) शासनादेश सं०- 35/दो-4-08-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 08.01.2008
- (4) शासनादेश सं०- 930/दो-4-08-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 11.04.2008
- (5) शासनादेश सं०- 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 13.05.2009
- (6) शासनादेश सं०- 4458/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी.1, दिनांक 28.01.2010
- (7) शासनादेश सं०- 793/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 30.04.2010
- (8) शासनादेश सं०- 1420/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 31.05.2010
- (9) शासनादेश सं०- 2123/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (10) शासनादेश सं०- 2123(2)/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (11) शासनादेश सं०- 2123(4)/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (12) शासनादेश सं०- 2977/दो-4-10-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 04.11.2010
- (13) शासनादेश सं०- 8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 13.04.2018
- (14) शासनादेश सं०- 914/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 10.08.2018
- (15) शासनादेश सं०- 361/दो-4-2021-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 31.08.2021
- (16) शासनादेश सं०- 50/दो-4-2022-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 16.02.2022

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० न्यायाधीश श्री पी० वी० रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु भत्ते से संबंधित की गयी संस्तुतियों के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में श्री राज्यपाल द्वारा निम्नानुसार भत्ते/सुविधाएं अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए)

- (क) भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गृह निर्माण अग्रिम के भुगतान के लिए दिनांक 9 नवंबर 2017 को निर्गत ओ०एम० सं०-1.17011/11(4)/2016-एच-III के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की भांति न्यायिक अधिकारियों को भी गृह निर्माण अग्रिम दिया जाना अनुमन्य होगा।
- (ख) मा० उच्च न्यायालय की अनुमति से निजी व्यक्ति से भी आवास के क्रय हेतु गृह निर्माण अग्रिम दिया जाना अनुमन्य होगा।

2. बाल शिक्षा भत्ता (सीईए)

- (क) न्यायिक अधिकारियों को कक्षा 12 तक, दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) के रूप में 2,250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा और छात्रावास अनुदान (सब्सिडी) के रूप में 6,750 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा देय होगा।
- (ख) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उपर्युक्त भत्ते की प्रतिपूर्ति दोगुने दर पर की जाएगी।
- (ग) जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा, तो देय भत्ते और अनुदान (सब्सिडी) की राशि 25% बढ़ जाएगी।
- (घ) शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से उक्त भत्ते एवं अनुदान (सब्सिडी) का भुगतान किया जायेगा।
- (ङ) यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनमें से मात्र एक ही व्यक्ति बाल शिक्षा भत्ता (सी०ई०ए०) की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा।

3. नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए)

- (क) नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) इस शासनादेश के लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- (ख) यद्यपि नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) समाप्त होने के उपरान्त इस भत्ते के अंतर्गत पूर्व में की गयी भुगतान की राशि की वसूली नहीं की जाएगी।

4. अतिरिक्त प्रभार भत्ता

- (क) न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि दस कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा निर्धारित मानक अब समाप्त समझे जायेंगे तथा अतिरिक्त प्रभार भत्ता हेतु दिनों की संख्या, न्यायिक कार्य की मात्रा और प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में, मानक का निर्धारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त अतिरिक्त प्रभार भत्ता दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य होगा।

#### 5. वाहन/परिवहन भत्ता (टीपी)

(क) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के लिए परिवहन भत्ता छोड़े जाने की शर्त पर पूल-कार की सुविधा अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी।

(ख) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपने नाम या उनके पति/पत्नी के नाम पर चार पहिया वाहन है, उन्हें उक्त वाहन के रख-रखाव और वाहन चालक के वेतन के लिए दिनांक 01.01.2016 से प्रति माह रुपये 10,000/- की दर से और दिनांक 01.01.2021 से बढ़ाकर रुपये 13,500/- परिवहन भत्ता दिया जाना अनुमन्य होगा।

(ग) परिवहन भत्ते के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में 100 लीटर पेट्रोल/डीजल तथा अन्य क्षेत्रों में 75 लीटर पेट्रोल/डीजल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उपरोक्त पेट्रोल/डीजल के कीमत की प्रतिपूर्ति स्वप्रमाणपत्र के आधार पर की जायेगी।

(घ) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना चार पहिया वाहन नहीं है और वे पूल कार सुविधा का लाभ भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसे न्यायिक अधिकारी भी उपरोक्तानुसार परिवहन भत्ता पाने के हकदार होंगे, लेकिन वे ईंधन भत्ता के पात्र नहीं होंगे।

(ङ) उपरोक्त परिवहन भत्ता एवं ईंधन भत्ता उन न्यायिक अधिकारियों को उक्त अवधि के लिए देय नहीं होगा जिस अवधि में उन्होंने शासकीय वाहन का उपयोग किया है या उपयोग किया जा रहा है।

(च) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारी आधिकारिक वाहनों के लिए पात्र थे, अर्थात् प्रधान जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और लघु वाद न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। इन पदाधिकारियों के अलावा, तीन और न्यायिक पदाधिकारी अर्थात् न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक, पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी आधिकारिक वाहनों के लिए पात्र होंगे। राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर उक्त अधिकारियों की सूची में कटौती करने का अधिकार मा0 उच्च न्यायालय को होगा।

(छ) शासकीय कार्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में आधिकारिक कारों के लिए पेट्रोल/डीजल की मात्रा, संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने और लॉग बुक के आधार पर, वास्तविक खपत की सीमा तक अनुमन्य होगा। निजी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक कारों का उपयोग प्रति माह 300 किलोमीटर की सीमा तक किया जाना अनुमन्य होगा।

- (ज) आधिकारिक वाहन के निजी उद्देश्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में गणना अर्द्धवार्षिक आधार पर की जायेगी।
- (झ) न्यायिक अधिकारियों को कार खरीदने के लिए मामूली ब्याज पर दस लाख रुपये तक की आसान ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। ब्याज की दर तथा ऋण अदायगी की शर्तें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासन के वित्त विभाग से विचार-विमर्श करके निर्धारित की जायेगी। ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. महंगाई भत्ता

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.07.2023 द्वारा महंगाई भत्ता लागू किया जा चुका है, जिसमें उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यरत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा पारिवारिक पेंशन-भोगियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय/अनुमन्य होगा।

7. अर्जित अवकाश नकदीकरण

- (क) सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा होगी।
- (ख) न्यायिक अधिकारी अवकाश नकदीकरण का हकदार होगा:-

(ए) यात्रा अवकाश (एल0टी0सी0) के लिए 10 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा। सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम 60 दिन (एक बार में 10 दिन तथा छह अवसरों तक) का लाभ देय होगा।

(बी) दो वर्ष के ब्लॉक में 30 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा।

(सी) न्यायिक अधिकारियों को प्रदत्त उपर्युक्त (ए) तथा (बी) सुविधायें सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अर्जित अवकाश नकदीकरण दिये जाने की सुविधा के अतिरिक्त होंगे।

(ग) ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों जिन्हें उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में उल्लिखित अवकाश नकदीकरण के दिनों को काटने के कारण सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य 300 दिनों से कम दिनों का नकदीकरण दिया गया है, को अन्तर का भुगतान इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 03 महीने की अवधि के भीतर किया जायेगा।

8. बिजली और जल का शुल्क

- (क) न्यायिक अधिकारियों को बिजली और जल शुल्क के भुगतान का 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य होगी:

पदनाम	बिजली इकाइयों	जल की मात्रा
जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर)	8000 यूनिट प्रति वर्ष	420 किलोलीटर प्रति वर्ष
सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन)	6000 यूनिट प्रति वर्ष	336 किलोलीटर प्रति वर्ष

- (ख) बिजली और जल के बिलों की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर बिल भुगतान की रसीद प्रस्तुत किये किये जाने पर की जायेगी।
- (ग) यह भत्ता दिनांक 01.01.2020 से बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य होगा।

9. उच्च योग्यता भत्ता

- (क) न्यायिक अधिकारियों को उच्च योग्यता अर्थात् कानून में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर एक और अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी।
- (ख) कानून में स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट के लिए एक बार अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के उपरान्त यदि भविष्य में किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की जाती है तो दुबारा कोई अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- (ग) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां उन न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने भर्ती से पहले या भर्ती के बाद सेवा में रहते हुए किसी भी समय पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या डॉक्टरेट उपाधि हासिल की हो।
- (घ) यदि न्यायिक अधिकारी ने भर्ती के पहले ही स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली है तो प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से तथा यदि सेवा में शामिल होने के बाद स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि अर्जित की है, तो स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने की तारीख से उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां देय होगी।
- (ङ) न्यायिक अधिकारियों को उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां उपलब्ध कराई जायेंगी यदि उनके द्वारा उच्च योग्यता नियमित अध्ययन (पूर्णकालिक या अंशकालिक) के माध्यम से या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल की गयी हो।
- (च) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ एसीपी स्तर (एसीपी I या II) पर भी देय होगा। सिविल जज (जूनियर डिविजन) से सिविल जज (सीनियर डिविजन) और सिविल जज (सीनियर डिविजन) से जिला जज कैडर पर पदोन्नति के समय भी उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ अनुमन्य होगा।
- (छ) इसी प्रकार जिला न्यायाधीश संवर्ग में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) से जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) और जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) से जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) में उन्नयन के समय भी अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ अनुमन्य होगा।
- (ज) सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता उसी पर देय होगा।

10. पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थाना भत्ता

- (क) पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 5000/- रुपये प्रतिमाह की दर से पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान भत्ता अनुमन्य होगा।
- (ख) उक्त भत्ता दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।  
(मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान के रूप में वर्गीकरण योग्य स्थानों का निर्धारण किये जाने पर)

11. घरेलू सेवक/घरेलू सहायता भत्ता

(क) सेवारत न्यायिक अधिकारियों को गृह-राह-कार्यालय अर्दली भत्ता निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर): अकुशल कामगार के लिए निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन अथवा रुपये 10000 प्रति माह, दोनों में जो अधिक हो।

सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन): अकुशल कामगार के लिए निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन का 60% अथवा रु. 7,500/- प्रति माह, दोनों में जो अधिक हो।

(ख) उपरोक्त दरों पर घरेलू सेवक/घरेलू सहायता भत्ता सेवारत न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01-01-2020 से देय होगा।

(ग) घरेलू सेवक भत्ते के भुगतान के परिणामस्वरूप रात के दौरान कार्यालय के चपरासी/अटेंडर या अन्य समूह 'घ' के कर्मचारी को उनके आवास पर तैनात करने की व्यवस्था, यदि कोई हो तो बंद नहीं होगी।

(घ) कार्यालय के चपरासी/परिचारक या ऐसे अन्य समूह 'घ' कर्मचारी जो आमतौर पर अशांत या सुरक्षा जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले न्यायिक अधिकारी के आवास पर रात्रि ड्यूटी के लिए तैनात किए जायेंगे। समूह 'घ' कर्मचारी के अभाव में ऐसे क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जाएगी।

(च) ऐसे कर्मियों को प्रधान जिला न्यायाधीश या प्रशासनिक जिम्मेदारियां रखने वाले समकक्ष रैंक के अधिकारी के आवास पर भी तैनात किया जायेगा।

(छ) ऐसे आवासीय कर्तव्यों के लिए चपरासी/परिचारकों की तैनाती समूह 'घ' /चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की उपलब्धता के अधीन होगी जिससे कि न्यायालय से संबंधित कर्तव्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

(ज) पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को घरेलू सहायता भत्ता दिनांक 01.01.2016 से निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:

पेंशनभोगी : रु 9,000/- प्रति माह

पारिवारिक पेंशनभोगी : रु 7,500/- प्रतिमाह

(झ) पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए दिनांक 01.01.2016 से पांच वर्ष पूरे होने के दिनांक 01.01.2021 से यह भत्ता 30% बढ़ जाएगा।

(ट) उपर्युक्त भत्ता न्यायिक अधिकारी/ पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के स्व-प्रमाणपत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

12. मकान किराया भत्ता और आवासीय क्वार्टर

(ए) आवासीय क्वार्टर

न्यायिक अधिकारी को पद का कार्यभार संभालने के एक महीने के भीतर आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध कराया जायेगा। यदि न्यायिक अधिकारी को एक महीने के भीतर सरकारी आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो न्यायिक अधिकारी निजी आवास स्वयं ले सकते हैं और उसे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किराया देना होगा:-

(क) यदि निजी आवास का किराया प्रस्तर-12(बी) में उल्लिखित अनुमन्य मकान किराया भत्ते के भीतर है, तो किराए के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा भुगतान किए जा रहे वास्तविक किराए को प्रमाणित करना होगा।

(ख) यदि निजी आवास का किराया अनुमन्य मकान किराया भत्ते से अधिक है, तो किराए का मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की सहायता से प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

(ग) यदि अनुमन्य मकान किराया भत्ता और मूल्यांकन किए गए किराए के बीच का अंतर 15% से अधिक है तो संबंधित अधिकारी द्वारा अन्तर की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान न किये जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रधान जिला न्यायाधीश उक्त राशि के भुगतान की मंजूरी प्रदान करेंगे। यदि ऐसी भिन्नता 15 प्रतिशत से कम है तो उच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) आवासीय व्यवस्था के लिए न्यूनतम प्लिन क्षेत्रफल जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर) के लिए 2500 वर्ग फुट और सिविल न्यायाधीश (जूनियर और सीनियर डिवीजन) के लिए 2000 वर्ग फुट होगा। यद्यपि, मा0 उच्च न्यायालय प्रशासन के पास उच्च प्लिन क्षेत्रफल के साथ डिजाइन को मंजूरी देने का विवेकाधिकार होगा।

(बी) मकान किराया भत्ता

(क) जिन न्यायिक अधिकारियों को निवास के लिए आधिकारिक द्वार्टर आवंटित किया गया है, वे मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

(ख) उच्च न्यायालय की अनुमति से माता-पिता या पति/पत्नी के घर सहित अपने स्वयं के घरों में रहने वाले न्यायिक अधिकारी भी दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे। पहले से ही किराए के आवास में रहने वाले न्यायिक अधिकारी दिनांक 01.01.2020 से अनुमन्य मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे, जो उक्त सीमा के भीतर भुगतान किए गए वास्तविक किराए के अधीन होगा।

(ग) जिला न्यायाधीश या समकक्ष का कार्यालय सीधे मकान मालिक को किराया भुगतान करेगा तथा ऐसे मामलों में अधिकारी मकान किराया भत्ता अहरित करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(घ) द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की मकान किराया भत्ता दरें केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बाद जारी दिनांक 07.07.2017 की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगी:-

शहरों का वर्गीकरण	मूल वेतन के % के रूप में एचआरए/प्रति माह की दरें
X	24%
Y	16%
Z	8%

हालांकि न्यूनतम निर्धारित दरें क्रमशः 5400/-, 3600/- और 1800/- हैं।

(ङ) महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) की दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाएगा:-

शहरों का वर्गीकरण	मूल वेतन के % के रूप में एचआरए/प्रति माह की दरें	सड़गाई भत्ते की वृद्धि पार करने पर
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	9%	25%
	10%	50%

जेड श्रेणी वर्तमान में वर्गीकृत नहीं है। विभिन्न श्रेणियों में शहरों को अपग्रेड करने और नये शहरों को जोड़ने के लिए मा0 उच्च न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(सी) फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता

(क) न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक पांच साल में ₹0 1.25 लाख का फर्नीचर अनुदान सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी द्वारा खरीद का प्रमाण/रसीद प्रस्तुत किये जाने के शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा। उक्त अनुदान का लाभ उठाकर बरतू विद्युत उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं। कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष रहने वाले न्यायिक अधिकारियों को इस भत्ते के पात्र होंगे। अधिकारी द्वारा उपयोग किए जा रहे फर्नीचर को मूल्यहास पर नर खरीदने का विकल्प नए अनुदान या सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध होगा।

(ख) फर्नीचर अनुदान के अलावा, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास पर प्रत्येक पांच साल में एक बार एक एयर कंडीशनर प्रदान किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता दिनांक 01.01.2016 से अनुमत्त होगा।

(घ) एयर कंडीशनर के संबंध में मानक, क्षमता आदि का निर्धारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(डी) आवासीय क्वार्टर - रखरखाव

न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टरों के उचित रखरखाव एवं इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बहई, सफाई कर्मचारियों और राजमिस्त्री की निर्वाह सेवाएं प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रत्येक जिला न्यायाधीश को दस लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर दो माह के अन्तर्गत धनराशि राज्य सरकार के न्याय विभाग द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

13. अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)/गृह यात्रा रियायत (एचटीसी)

(क) अवकाश यात्रा रियायत (गृह यात्रा रियायत के लिये नहीं) का लाभ उठाने समय 10 दिनों की अर्जित अवकाश का नकदीकरण (अधिकतम 60 दिनों के अधीन) प्रदान किया जायेगा। यह सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन और दो साल के अंतराल में 30 दिन के नकदीकरण के अतिरिक्त होगा।



- (श) अवकाश यात्रा रिवायत की आवृत्ति के संबंध में, न्यायिक अधिकारियों को 3 साल के ब्याक से एक अवकाश यात्रा रिवायत और एक पृष्ठ यात्रा रिवायत का लाभ दिया जाना अनुमत्त होगा।
- (घ) पंचविधुयत न्यायिक अधिकारियों को पृष्ठ यात्रा रिवायत का लाभ 3 साल के पदके ब्याक में 2 बार प्रदाय किया जाएगा, परन्तु 3 साल का ब्याक परिबीक्षा के लिए निर्धारित अवधि के पूरा होने पर शुरू होगा (पारिबीक्षा पूर्ण होने की घोषणा होने की आवश्यकता नहीं होगी)।
- (ङ) सभी न्यायिक अधिकारियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी और प्रतिपूर्ति इस बर्ष के अक्षीय की जाएगी कि रिक्त या तो तीनों एयरलाइंस से या केन्द्र/राज्य सरकार से अधिकृत एजेंसेयें तथा अशोक ट्रेवल, नामर एण्ड लाई और आई(आर)सी(सी)सी(सी) से करिदे गए हों। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसेयें को जोड़ा या हटाया जा सकता है।
- (च) अन्य विवरण जैसे यात्रा की श्रेणी, अग्रिम आदि राज्य सरकार के संबंधित नियमों/आपदादेशों से शासित होंगे।
- (छ) न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में कहीं भी अवकाश यात्रा रिवायत को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।
- (ज) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अवकाश यात्रा रिवायत / पृष्ठ यात्रा रिवायत सुविधा अनुमत्त नहीं होगी।
- (झ) न्यायिक अधिकारियों को अवकाश यात्रा रिवायत/पृष्ठ यात्रा रिवायत प्रयोजन के लिए केवल अतिरिक्त अवकाश का लाभ उठाने की अपरिहार्यता नहीं होगी और उन्हें दो दिनों की सीमा तक सेवानिवृत्त और सचिवालय के रूप में आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति होगी।

1.2 चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधाएं

अनिवार्य चिकित्सा भत्ता

- (क) हेतारत न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से नियत चिकित्सा भत्ता ₹0 3,000/- प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- (ख) पेशनभोगियों और पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 से नियत चिकित्सा भत्ता ₹0 4,000/- की दर से देय होगा।
- (ग) पारिवारिक पेशन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों के: पति/पत्नी या अन्य आश्रित भी न्यायपालिका के पेशनभोगियों के समान चिकित्सा सुविधाओं/प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- (घ) सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे तौर पर, पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों सहित न्यायिक अधिकारी सरकार द्वारा अधिकृत/हू-जी-ब्लू निजी अस्पतालों/पैथोलॉजिकल सेन्स में परामर्श/उपचार के हकदार होंगे और सामान्य प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार बिल जमा करके प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।
- (ङ) न्यायिक अधिकारी या पेशनभोगी/ पारिवारिक पेशनभोगी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किये जाने अथवा पूर्व से भर्ती हों तो उसके इलाज के लिए जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के मामले में उच्च न्यायालय के महानिबंधक संबंधित अस्पतालों को साप पत्र भेजने के लिए तत्क्षम होंगे।
- (च) आंतरिक रोगी उपचार या कब्ज या ज्यादा निरंतर उपचार की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों के लिए किए गए व्यय की धनराशि को जिला न्यायाधीशों या उच्च रैंक के अन्य अधिकृत अधिकारी या उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

- (स) आपातकाल के मामले में, न्यायिक अधिकारी, सेवारत और सेवानिवृत्त और साथ ही पारिवारिक पेंशनभोगी किसी भी नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं तथा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बिल जमा करके प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते यदि आवश्यक हो तो इस नजर के लिये साख पत्र जारी किया जा सकता है।
- (ख) मान्यता प्राप्त/पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा विण्डा अनुमान की प्रस्तुत करने पर, 80% अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जो जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा अधिनृत समन्वय रैंक के जिला न्यायाधीश द्वारा प्रारंभिक जांच के अधीन होगा। शेष राशि की प्रतिपूर्ति नामित सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा या अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने पर की जाएगी। यदि किसी विशेष वस्तु के विण्डा सरकार द्वारा अनुमोदित करें उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रमाणन अधिकारी द्वारा संबंधित अस्पतालों में आम तौर पर ली जाने वाली दरों का परीक्षण किया जाएगा तथा अनुमान की मंजूरी देने से पहले उसकी जांच की जायेगी, अस्वीकृति की सीमा न्यूनतम होगी और अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला न्यायाधीश द्वारा नामित सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जांच के विण्डा होने पर बिलों का निस्तारण उनके द्वारा प्राप्ति की तारीख से अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर कर दिया जायेगा।
- (घ) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और पारिवारिक पेंशन-भोगी जो दूसरे राज्य में निवासित हो गए हैं, उन्हें उस राज्य से चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम का दावा करने की सुविधा होगी, जहां से वे पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- (ङ) किसी सेवारत अधिकारी के दूसरे राज्य में (आधिकारिक या निजी उद्देश्य) दौर या सेवानिवृत्त अधिकारी के सेवानिवृत्ति के बाद उस राज्य में निवासित होने पर आपातकालीन या अन्यथा की स्थिति में किसी भी सरकारी/सरकारी अधिसूचित/मान्यता प्राप्त अस्पतालों/पैथोलॉजिकल लैब में कमरे के शुल्क/परीक्षण सहित उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी यद्यपि उक्त अस्पताल/लैब उस राज्य में मान्यता प्राप्त न हो जहां पर ऐसे अधिकारी सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं।
- (च) मा0 उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री यह जांच करेगी कि क्या अधिसूचित/पैनल में शामिल अस्पताल पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित न्यायिक अधिकारियों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करते हैं और अतिरिक्त अस्पतालों/पैथोलॉजिकल लैबों को अधिसूचित करने के लिए उस सीमा तक सरकार को प्रस्ताव भेजेगी जहां तक यह आवश्यक समझा जाएगा।
- (छ) धन की कमी के कारण बिलों को व्यवहृत करने और मंजूरी देने में देरी से बचने के विण्डा रजिस्ट्री मा0 उच्च न्यायालय अतिरिक्त धनराशि जारी करने का प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार के न्याय विभाग को प्रेषित करेंगे और वित्त विभाग इस मद में न्याय विभाग/उच्च न्यायालय को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल कार्यवाही करेंगे।
- (ज) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित अन्य चिकित्सीय राहताओं के सम्बन्ध में "सी0एस0सी0डी0जे0" समिति की सिफारिशों के आधार पर अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

### 15. समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता

- (क) समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति जिला न्यायाधीशों, समस्त स्तर (दो समाचार पत्र और दो पत्रिकाएं) के लिए 1000/- रुपये प्रतिमाह और सिविल न्यायाधीशों, जूनियर और सीनियर डिवीजन (दो समाचार पत्र और एक पत्रिका) के लिए 700/- रुपये प्रतिमाह होगी।
- (ख) प्रतिपूर्ति स्व-प्रमाणपत्र के आधार पर जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक अर्धवार्षिक आधार पर होगी।
- (ग) उपरोक्त दरों पर भत्ता दिनांक 01.01.2020 से देय होगा।

### 17. वस्त्र भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से तीन साल में एक बार 12,000 रुपये वस्त्र भत्ता देय होगा।

### 18. प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष वेतन

प्रशासनिक कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष वेतन देय होगा:-

- (क) जिला जज बैंक के सभी न्यायिक अधिकारीगण यथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, एम0ए0सी0टी0 के पीठासीन अधिकारी, कामर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी तथा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में नियुक्त स्पेशल ऑफिसर(विजिलेंस), महानिबंधक, वरिष्ठ निबंधक, जिला जज बैंक के अन्य न्यायिक अधिकारीगण सहित राज्य के अन्दर एवं बाहर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त जिला जज बैंक के न्यायिक अधिकारीगण: रु0 7000/- प्रतिमाह।
- (ख) प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सहित अन्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीशगण जिन्हें प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है तथा उनके द्वारा सामान्य रूप से न्यायालय के लिए निर्धारित कार्यवधि के बाद भी समय बिताना पड़ता है:- रु. 3500/- प्रति माह
- (ग) स्वतंत्र प्रशासनिक जिम्मेदारियों वाले विशेष न्यायालयों और अधिकरणों के पीठासीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश:- रु. 3500/- प्रति माह
- (घ) सीजेएम और प्रधान वरिष्ठ, कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशगण और अन्य न्यायिक अधिकारीगण, जिनके पास, दाखिला करने की शक्तियों वाली स्वतंत्र न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी होने के कारण प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं:- रु. 2000/- प्रति माह
- (ङ) उपरोक्त विशेष वेतन दिनांक 01.01.2019 से देय होंगे।

### 19. सत्कार भत्ता

(क) न्यायिक अधिकारियों को सत्कार भत्ता निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:-

जिला न्यायाधीश(समस्त स्तर)- रु. 7,800/- प्रति माह

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)- रु. 5,800/- प्रति माह

सिविल जज(जूनियर डिवीजन)- रु. 3,800/- प्रति माह

(ख) उक्त अतिरिक्त सत्कार भत्ता दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।

(ग) व्यापिक अधिकारियों को निकाले हुए देवियों को उनके परिवार या उनके द्वारा संभाली गई व्यापिक अधिकारियों के आधार पर रु. 1,000/- (एक हजार) अंशिक मिलेंगे-

- (क) वेतन/ग्रहणों में समाप्त के प्रभावी दिनांक आदि।
- (ख) मरुत देव और मरुत मरुत-केव में दिनांक आदि।
- (ग) व्यापिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्रों के विशेषकर मरुत मरुत, राज्य विधि सेवा अधिकार।
- (घ) मरुत व्यापिक अधिकारियों के मरुत मरुत मरुत।

(घ) वेतन/ग्रहणों में समाप्त के प्रभावी दिनांक आदि मरुत मरुत मरुत नहीं होगा।

20. वेतन/ग्रहण

व्यापिक अधिकारियों को निकाले हुए देवियों के वेतन/ग्रहणों का प्रबंधन इस प्रकार होगा-

- (क) वेतन/ग्रहण वेतन/ग्रहण और वेतन/ग्रहण (समाप्त या विभिन्न वेतन/ग्रहणों द्वारा) व्यापिक अधिकारियों के आधार पर मरुत मरुत मरुत के साथ निकाले हुए वेतन/ग्रहणों की जाएगी-
- वेतन/ग्रहण (समाप्त मरुत) : रु. 1500/- प्रति माह
- वेतन/ग्रहण (मरुत मरुत और मरुत मरुत) : रु. 1000/- प्रति माह

(ख) वेतन/ग्रहण वेतन/ग्रहण वेतन/ग्रहण (समाप्त या विभिन्न वेतन/ग्रहणों द्वारा) व्यापिक अधिकारियों के आधार पर मरुत मरुत मरुत के साथ निकाले हुए वेतन/ग्रहणों की जाएगी-

- वेतन/ग्रहण (समाप्त मरुत) : रु. 1000/- प्रति माह
- वेतन/ग्रहण (मरुत मरुत और मरुत मरुत) : रु. 750/- प्रति माह

मोबाइल फोन

(क) वेतन/ग्रहण वेतन/ग्रहण वेतन/ग्रहण (समाप्त या विभिन्न वेतन/ग्रहणों द्वारा) व्यापिक अधिकारियों के आधार पर मरुत मरुत मरुत के साथ निकाले हुए वेतन/ग्रहणों की जाएगी-

- वेतन/ग्रहण (समाप्त मरुत) : रु. 30,000/-
- वेतन/ग्रहण (मरुत मरुत और मरुत मरुत) : रु. 20,000/-
- वेतन/ग्रहण (समाप्त मरुत) : रु. 2000/- प्रति माह
- वेतन/ग्रहण (मरुत मरुत और मरुत मरुत) : रु. 1500/- प्रति माह

(ख) व्यापिक अधिकारियों के वेतन/ग्रहण वेतन/ग्रहण वेतन/ग्रहण (समाप्त या विभिन्न वेतन/ग्रहणों द्वारा) व्यापिक अधिकारियों के आधार पर मरुत मरुत मरुत के साथ निकाले हुए वेतन/ग्रहणों की जाएगी-

21. स्थानांतरण अनुदान

(क) व्यापिक अधिकारियों के स्थानांतरण पर एक महीने का अनुदान एक महीने के वेतन के बराबर होगा।

(ख) यदि स्थानांतरण 20 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर या उसी शहर के भीतर होता है (यदि इसमें निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल है), तो स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन का 1/3 होगा।

(ग) व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से जारी ओओएमओ सं०-19030/2017-ई. IV दिनांक 13.07.2017 लागू होगा।

(घ) सड़क मार्ग से परिवहन के मामले में अनुमन्य धनराशि, 50/- रुपये प्रति कि०मी० इसमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए श्रम शुल्क सम्मिलित है, या वास्तविक खर्च राशि, दोनों में जो भी कम हो, होगी। महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर उक्त राशि 25% बढ़ जाएगी।

(ङ) उक्त सुविधा/व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से लागू होंगी।

(च) जिन अधिकारियों के स्थानांतरण दिनांक 01.01.2016 के बाद हुए हैं और उनके स्थानांतरण अनुदान के दावों को संशोधन के पूर्व वेतनमान के अनुसार भुगतान किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतन के आधार पर अंतर की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

2- शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की अवधि के लिए उपर्युक्त भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति एवं निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अंतर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के संबंध में किये गये भुगतान का यथावश्यक समायोजन किया जायेगा। न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों की बकाया राशि की गणना एवं एक मुश्त नकद भुगतान दिनांक 29.02.2024 से पूर्व करने हेतु सक्षम/अधिकृत स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3- उपरोक्त भत्ते और सुविधाएं राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होंगे तथा उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश, जो भी हों, इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-72/दस-2024, दिनांक 28 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
[Signature]  
(डॉ० देवेश चतुर्वेदी)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 110 (1)/दो-4-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (3) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (5) अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।

Tr. no. 100  
EDP(S)

- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) समस्त जिला न्यायाधीश (द्वारा महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)
- (8) निदेशक, कोषागार / पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (9) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, कचहरी रोड, प्रयागराज।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12; वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- (12) इरला चेक अनुभाग / इरला चेक (वेतन पर्ची-1,2) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
- (13) श्री संजय कुमार त्यागी, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- (14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार सिंहवार)  
विशेष सचिव।